न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या — 03 / 2020

बलवीर उर्फ बन्ना पुत्र लाला जाति मेहरात निवासी रूदलाई तहसील पीसागंन जिला अजमेर

....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पीसागन जिला अजमेर।
2. सुवा देवी पत्नि लाला
3. कोयली उर्फ कोया पुत्री लाला पत्नि इस्माईल
4. बीबी पुत्री लाला पत्नि बरदा
5. भोली पुत्री लाला पत्नि बना

समस्त जाति मेहरात निवासी रूदलाई तहसील पीसागंन जिला अजमेर

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132
रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री शिवचरण शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी
स्वयं उपस्थित – अप्रार्थी संख्या 2 से 5

–: निर्णय :– दिनांक 19.02.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम रूदलाई पटवार हल्का अमरगढ तहसील पीसागंन जिला अजमेर जमाबदीं सवंत 2069 से 2072 जमाबदीं सवंत 2075 के अनुसार खाता संख्या नया 337 पुराना 05 , खाता संख्या नया 275 पुराना 221 , खाता संख्या नया 8 पुराना 10 , खाता संख्या नया 86 पुराना 74, खाता संख्या नया 85 पुराना 72, खाता संख्या नया 98 पुराना 43 की कृषि भूमि जरिये विरासत से प्रार्थी की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी रही है। प्रार्थी को बचपन से दो नामों से जाना जाता था बलवीर उर्फ बन्ना पुत्र लाला परन्तु सहंवन से विरासत का नामान्तकरण करवाते समय बन्ना पुत्र लाला अकिंत हो गया जबकि प्रार्थी का अन्य दस्तावेंजो में एक ही नाम रखने के लिये प्रार्थी अपने राशन कार्ड , मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड , शैक्षणिक प्रमाण पत्र , पैन कार्ड , ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में तो अपना नाम दुरूस्त करवाते हुए अपना नाम बलवीर पुत्र लाला अकंन करवा लिया जबकि राजस्व रिकार्ड में सही नाम नहीं होने से प्रार्थी ना तो बैंक से ऋण प्राप्त कर सके और ना ही अन्य अनुदान जो राज्य सरकार से प्राप्त कर सकते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थी का नाम बलवीर पुत्र लाला अंकित किये जाने का आदेश पारित करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] को सम्मन जारी किये गये। राजहित प्रभावित नहीं होने से जवाब सरकार बंद किया जाता है शेष अप्रार्थी संख्या 2 से 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:29:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने आज एकपक्षिय बहस सुनी । पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एंव 132 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम रूदलाई पटवार हल्का अमरगढ तहसील पीसागंन जिला अजमेर जमाबदीं सवंत 2069 से 2072 जमाबदीं सवंत 2075 के अनुसार खाता संख्या नया 337 पुराना 05 , खाता संख्या नया 275 पुराना 221 , खाता संख्या नया 8 पुराना 10 , खाता संख्या नया 86 पुराना 74, खाता संख्या नया 85 पुराना 72, खाता संख्या नया 98 पुराना 43 के राजस्व रिकार्ड में बन्ना पुत्र लाला के स्थान पर बलवीर पुत्र लाला का अकंन किया जावे शेष इन्द्राज यथावत।**

निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:29:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 03 / 2020

बलवीर उर्फ बन्ना पुत्र लाला जाति मेहरात निवासी रूदलाई तहसील पीसागंन जिला अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पीसागन जिला अजमेर।
2. सुवा देवी पत्नि लाला
3. कोयली उर्फ कोया पुत्री लाला पत्नि इस्माईल
4. बीबी पुत्री लाला पत्नि बरदा
5. भोली पुत्री लाला पत्नि बना

समस्त जाति मेहरात निवासी रूदलाई तहसील पीसागंन जिला अजमेर ... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132

रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :— श्री शिवचरण शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी

स्वयं उपस्थित — अप्रार्थी संख्या 2 से 5

—: डिक्री :— दिनांक 19.02.2020

श्री समदरसिंह भाटी उपखण्ड अधिकारी पीसागंन व हाजिर श्री शिवचरण शर्मा अभिभाषक मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम रूदलाई पटवार हल्का अमरगढ तहसील पीसागंन जिला अजमेर जमाबदीं सवंत 2069 से 2072 जमाबदीं सवंत 2075 के अनुसार खाता संख्या नया 337 पुराना 05 , खाता संख्या नया 275 पुराना 221 , खाता संख्या नया 8 पुराना 10 , खाता संख्या नया 86 पुराना 74, खाता संख्या नया 85 पुराना 72, खाता संख्या नया 98 पुराना 43 के राजस्व रिकार्ड में बन्ना पुत्र लाला के स्थान पर बलवीर पुत्र लाला का अकंन किया जावे शेष इन्द्राज यथावत।

वदखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19.02.2020 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुकमनामा
वाबत इजराय हुकमनामा	बाबत इजराय हुकमनामा
तफरीस	मुतफरीस
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:29:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)